

कार्यालय जिला पंचायत जालौन स्थान उरई


ठेकेदारी रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण हेतु सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 (06.04.2019 से 31.03.2020) की अवधि के लिये निर्माण कार्यों की ठेकेदारी हेतु नये पंजीकरण एवं पंजीकृत ठेकेदारों का नवीनीकरण किये जाने हेतु दिनांक 30.03.2019 तक अनुमन्य अर्हताओं सहित आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, जिनका गुणदोष के आधार पर निस्तारण दिनांक 05.04.2019 तक कर दिया जायेगा। इच्छुक व्यक्तियों के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह शासनादेश सं०-819/33-02-2007-190/2006 दिनांक 10.04.2007 द्वारा निर्धारित प्रपत्र (1) व (2) में जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र व हैसियत प्रमाण पत्र (दो वर्ष तक वैध), पैनकार्ड, व्यापार कर विभाग का टिन नम्बर, जी०एस०टी०की प्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न करेंगे।

2- कोई भी व्यक्ति जिला पंचायत के अधिकारियों, कर्मचारियों, एवं निर्वाचित मा० सदस्यगण का निकट सम्बन्धी जैसा कि अधिनियम में वर्णित है, ठेकेदारी हेतु आवेदन नहीं करेगा। पंजीकरण के उपरान्त यदि कोई संदर्भित अधिकारियों/पदाधिकारियों आदि का रक्त सम्बन्धी पाये जाने की दशा में उसकी जमानत धनराशि जब्त करते हुए रजिस्ट्रेशन निरस्त कर उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

3. रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण हेतु स्वीकृति के पश्चात् नवीनीकरण शुल्क रू० 1000/- तथा नये रजिस्ट्रेशन हेतु जमानत के रूप में रू० 25000/- नगद जमा करना होगा।

4. किसी भी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टिड व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण नहीं किया जायेगा, यदि किसी व्यक्ति के ब्लैक लिस्टिड होने की बात संज्ञान में आती है, तो उसका पंजीयन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।



अभियन्ता

जिला पंचायत जालौन



अपर मुख्य अधिकारी

जिला पंचायत जालौन

अध्यक्ष

जिला पंचायत जालौन

कार्यालय जिला पंचायत जालौन, स्थान उरई

पत्रांक 1354 / ई०आर०के० / 2019-20

दिनांक : 11/02/2019

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी महोदय, जालौन स्थान उरईकी सेवा में सूचनार्थ।
2. समस्त उपजिलाधिकारी, उरई, जालौन, कोंच, कालपी एवं माधौगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक, जालौन स्थान उरई की सेवा में सूचनार्थ।
4. मुख्य विकास अधिकारी, जालौन स्थान उरई की सेवा में सूचनार्थ।
5. अधि० अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उरई को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु अनुरोध सहित।
6. अधि० अभियन्ता, आर०ई०एस० उरई को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु अनुरोध सहित।
7. अधि० अभियन्ता, वेतवा नहर खण्ड उरई को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु अनुरोध सहित।
8. श्री अनीस कुमार, आशुलिपिक, जिला पंचायत जालौन को जिला पंचायत की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
9. समस्त खण्ड विकास अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
10. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र को इस आशय से प्रेषित कि वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
11. समस्त मण्डी समितियों को सूचनार्थ प्रेषित।
12. नाजिर कलेक्ट्रेट उरई को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु अनुरोध सहित।
13. नाजिर, जिला पंचायत उरई को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

14. सम्पादन दैनिक ~~स्थल अक्षर~~ ^{जागरण} उरई एवं दैनिक जागरण कानपुर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त का प्रकाशन आगामी अंक में न्यूनतम स्थान में प्रकाशन कर बिल दो प्रतियों में समाचार पत्र की प्रति के साथ भुगतान हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें।
15. ई0 डिस्ट्रिक्ट मैनेजन जालौन स्थान उरई को जनपद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत जालौन।